<u>संख्या-6/2017/1255/एक-4-17-रा0-4</u>

प्रेषक,

धीरज पाण्डे,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

2-जिलाधिकारी, औरैया, बागपत, कानपुर नगर, मेरठ, श्रावस्ती, वाराणसी, फैजाबाद, मुरादाबाद, सम्भल, बलरामपुर, कानुपर देहात, आजमगढ़।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 30 अगस्त, 2017

विषयः- प्रदेश के जनपदों में वाहन क्रय हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-420/एक-4-16-02बी-4/16 दिनांक 26.04.2016 एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-12 के पत्र संख्या-जी-199/198/12-24-7 विविध/2007/2008 दिनांक 04.05.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के माध्यम नया वाहन स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नलिखित सूचनायें एवं सुसंगत समस्त अभिलेख की प्रमाणित प्रति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थीः-

(1) मण्डल/जनपद में स्वीकृत वाहन की संख्या (अधिकारी वार एवं वर्षवार सूची) एवं मण्डल/जनपद में स्वीकृत वाहन चालको की संख्या।

(2) जिस अधिकारी को नया वाहन स्वीकृत किया जाना है, उसका पद नाम।

(3) निष्प्रयोज्य वाहन का नाम व संख्या।

(4) अधिकारी का पदनाम जिसे निष्प्रयोज्य वाहन आवंटित है।

(5) निष्प्रयोज्य वाहन का निष्प्रयोज्यता प्रमाण पत्र।

(6) निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने का ट्रेजरी चालान का प्रमाणपत्र।

(7) यदि मण्डल/जनपद के किसी अधिकारी को पूर्व में शासन द्वारा वाहन क्रय किये जाने हेत धनराशि स्वीकृत की गयी है, परन्तु मण्डल/जनपद में किसी कारणवश वाहन क्रय नही किया गया है तो शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को राजकोष में जमा कराये जाने का प्रमाण -पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही नवीन वाहन स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

2- कृपया जिलाधिकारी, औरैया, बागपत, कानपुर नगर, मेरठ, श्रावस्ती, वाराणसी, फैजाबाद, मुरादाबाद, सम्भल, बलरामपुर, कानुपर देहात, आजमगढ़ के निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप नवीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार विन्दुवार सूचना/संगत अभिलेख शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

<u>संख्या 6/2017/1255/एक-4-17-रा0-4एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप नवीन वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त 07 विन्दुओं पर सूचना सहित प्रस्ताव आधार पर उपलब्ध कराया जाय।

आज्ञा से,,

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।